

कार्यालय-निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

अध्यापक अभिभावक परिषद की दिनांक 05 मई, 2017 को आयोज्य बैठक हेतु दिशा निर्देश (संशोधित)

सत्र 2017-18 की अध्यापक-अभिभावक परिषद की प्रस्तावित बैठक दिनांक 05 मई 2017 को आयोजित की जानी है, इसी दिन एसएमसी की साधारण सभा का भी आयोजन करें। चूंकि एसएमसी की साधारण सभा में विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के अभिभावकगण तथा विद्यालय का सम्पूर्ण शिक्षण स्टाफ एवं सम्बन्धित कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले जिला प्रमुख/प्रधान/सरपंच/नगर पालिका अध्यक्ष/जिला परिषद सदस्य/वार्ड पंच/सदस्य होते हैं। अतः एसएमसी की साधारण सभा एवं अध्यापक अभिभावक परिषद की संयुक्त बैठक आयोजित करते हुए आगामी शैक्षिक सत्र हेतु सार्थक कार्य योजना निर्मित किया जाना सुनिश्चित करें एवं जिन विद्यालय में एसएमसी का पुनर्गठन होना है PEEO के पर्यवेक्षण में पुनर्गठन किया जाए।

(1) अध्यापक अभिभावक परिषद बैठक का एजेन्डा

क्र.सं.	करणीय कार्यवाही	समय
1	प्रार्थना सभा में भागीदारी – i. विद्यालय की प्रार्थना सभा में अभिभावकों को सम्मिलित किया जावे। ii. एक दो सांस्कृतिक प्रस्तुतियां बालकों द्वारा दी जावे। इसका उद्देश्य बालकों को प्रोत्साहन प्रदान करना हो।	30 मिनट
2	सामूहिक बैठक – i संस्था प्रधान का उदबोधन • बालकों एवं शिक्षकों द्वारा शैक्षिक एवं सह-शैक्षिक उपलब्धियां। • विद्यालय का परीक्षा परिणाम, परीक्षा हेतु विशेष प्रयास एवं परिणाम वा उसका प्रभाव। • विद्यालय विकास योजना उसके क्रियान्वयन का प्रदर्शन। • विद्यार्थियों की विद्यालय में नियमित उपस्थिति एवं गृहकार्य एवं नियमित अध्ययन में अभिभावकों के सहयोग के संबंध में जागरूकता संदेश देना। • विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर भी दायित्वों का उल्लेख करना। ii भामाशाहों के योगदान की सराहना • विद्यालय में सहयोग प्रदान करने वाले भामाशाहों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना। • शासन के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के अभिभावकों/जनसमुदाय से स्वैच्छिक प्राप्त राशि को एसएमसी के खाते में विद्यालय विकास निधि के रूप में प्राप्त कर विद्यालय की आधारभूत संरचनाओं के विकास एवं विद्यालय संचालन से संबंधित कार्यों में उपयोग लेने संबंधी नवीन निर्देशों को अवगत करना। • SDMC/SMC को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम की धारा-80(जी) के तहत आयकर से छूट हेतु विद्यालय द्वारा शासन के निर्देशानुरूप आयकर विभाग में पंजीयन हेतु की गई कार्यवाही से अवगत करवाना।	आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाए

	<p>iii अभिभावकों की जिज्ञासाओं का समाधान व फीडबैक लेना।</p> <ul style="list-style-type: none"> • अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देना एवं उनकी अच्छी आदतों को दूसरे विद्यार्थियों के अनुशरण के संबंध में। • विद्यालय विकास के लिये अभिभावकों के सुझाव एवं सवाल। 	
3	<p>परीक्षा परिणाम एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों पर चर्चा –</p> <ul style="list-style-type: none"> • कक्षावार परीक्षा परिणाम की जानकारी कक्षाध्यापकों द्वारा अभिभावकों एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति में दी जाएगी। तत्पश्चात कक्षाध्यापकों द्वारा समन्वय करते हुए विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि, विद्यालय में ठहराव/उपस्थिति एवं विषयवार प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकतानुसार विषयाध्यापकों/कक्षाध्यापक एवं अभिभावकों का पारस्परिक सम्वाद स्थापित किया जाएगा। उक्त सम्वाद में कमजोर शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के अधिगम स्तर उन्नयन हेतु आगामी सत्र के प्रारम्भ से ही ध्यान दिये जाने योग्य बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी। 	आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाए
4	<p>एसएमसी का पुनर्गठन – विद्यालय प्रबंधन समिति के विधान एवं नियमावली के अनुसार इसकी कार्यकारिणी समिति का कार्यकाल दो वर्ष है। अतः जिन विद्यालयों में दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है, साधारण सभा की बैठक में लाकतान्त्रिक ढंग से एसएमसी का पुनर्गठन कराया जाए।</p>	आवश्यकतानुसार निर्धारित किया जाए

(2) दायित्व:—

अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक तभी सार्थक होगी जब उक्त परिषद के सभी घटक अपने दायित्वों का समुचित निर्वहन करेंगे।

(A) संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के दायित्व:—

(i) बैठक से पूर्व तैयारियाँ

- अभिभावकों को बैठक के 10 दिवस पूर्व आमन्त्रित करना, बालकों के साथ आमन्त्रण पत्र भेजना, डायरी में अंकन करना अथवा व्यक्तिगत सम्पर्क करना।
- अभिभावकों से व्यक्तिगत सम्पर्क करें अथवा अभिभावकों को मोबाईल संदेश भेजे कि "05 मई 2017 प्रातः 8:05 से आयोजित बैठक में आपका विद्यालय में स्वागत है, पधारें और अपने बच्चों की प्रगति को जाने।"
- एसएमडीसी/एसएमसी के सदस्यों से 5 दिन पूर्व मिलकर उन्हें इस बैठक के प्रचार प्रसार करना।
- सार्वजनिक स्थलों पंचायत भवन, मंदिर/मस्जिद/गुरुद्वारे/बस स्टेण्ड आदि स्थानों पर एसएमसी सदस्यों द्वारा बच्चों की रैली आयोजित कर बैठक का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
- सभी स्टॉफ तथा एसएमडीसी/एसएमसी के सदस्यों की बैठक में उपस्थिति सुनिश्चित करना।

(ii) अध्यापक-अभिभावक परिषद बैठक

- विद्यालय विकास योजना को विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर सार्वजनिक किया जावे एवं सुझाव मांगे जाएं।
- बैठक के दिवस अभिभावकों के लिये सम्मानजनक बैठक व्यवस्था करना।

- विद्यालय स्टाफ के साथ पूर्व तैयारी बैठक कर संयुक्त बैठक के दौरान अभिभावकों के साथ सम्मानजनक एवं सहयोगपूर्ण व्यवहार हेतु आवश्यक निर्देश तथा सुझाव देते हुए अभिभावकों/आमंत्रित अतिथियों के उचित सत्कार की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- (iii) अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक के पश्चात करणीय कार्यवाही
 - बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावक को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-1 में (संलग्न- परिशिष्ट-1) का अंकन में हस्ताक्षर करवाना।
 - बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावक को संस्था प्रधान द्वारा उसी दिवस को नियत प्रारूप-2 (संलग्न- परिशिष्ट-2) में पत्र जारी कर इस हेतु सूचित किया जाएगा एवं आगामी कार्य दिवस तथा आगामी बैठक में भाग लेने हेतु आग्रह किया जाएगा।

(B) जिला शिक्षा अधिकारी के दायित्व

- संस्था प्रधान को अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक के विषय में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना।
- अभिभावकों में उक्त बैठक के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना।
- परिक्षेत्र के उत्कृष्ट विद्यालय की बैठक में स्वयं उपस्थित होना एवं अन्य शिक्षा अधिकारी/अति. जिशिअ/अति.जिला समन्वयक/सहायक जिला परियोजना समन्वक आदि को भेजना।
- अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में भाग लेने वाले समस्त अवलोकनकर्ता अधिकारियों को बैठक स्थल से मॉनिटरिंग फार्म आवश्यक रूप से भरना है। यह मॉनिटरिंग फार्म निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध है, जिसे समस्त अधिकारियों द्वारा मोबाईल अथवा ऑनलाईन पूर्ति पश्चात इस लिंक पर आवश्यक रूप से भिजवाया जाना है।

www.tinyurl.com/elementryPTAmonitoring

- बैठक की उपस्थिति का विश्लेषण तैयार कर पश्चवर्ती समीक्षा बैठकों में प्रस्तुत करना।
- संलग्न प्रपत्र-3 (परिशिष्ट-3) में सूचना कार्यक्रम आयोजित होने से दो दिवस में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद (सामुदायिक गतिशीलता प्रकोष्ठ) email : rajssa_cmece@yahoo.com पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।


आज्ञा से
निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/जी/पीटीएबैठक/2017

दिनांक : 28/04/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1 विशिष्ट सहायक, शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान सरकार, जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
- 3 समस्त उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा,
- 4 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा
- 5 समस्त जिला/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, एसएसए
- 6 समस्त ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
- 7 अनुभाग अधिकारी शाला दर्शन को अपलोड करने हेतु।
- 8 समस्त संस्था प्रधान, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय शाला दर्शन पोर्टल से डाउनलोड कर लेवे।
- 9 रक्षित पत्रावली


जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रारूप -1

बैठक में उपस्थित रहने वाले अभिभावकों का विवरण का प्रारूप

अध्यापक-अभिभावक परिषद राजकीयविद्यालय

आदरणीय / आदरणीया

विद्यालय में दिनांक 05.05.2017 को आयोजित अध्यापक-अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी उपस्थिति हेतु परिषद आपका आभार ज्ञापित करती है -

बैठक की दिनांक	विद्यार्थियों के नाम जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	नाम एवं अभिभावक के हस्ताक्षर
----------------	---	------------------------------

प्रारूप -2

बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अभिभावक को पत्र का प्रारूप

अध्यापक – अभिभावक परिषद राजकीयविद्यालय

आदरणीय / आदरणीया

शुभाभिवादन

विद्यालय में दिनांक 05.05.2017 को आयोजित अध्यापक- अभिभावक परिषद की बैठक में आपकी सादर उपस्थिति हेतु आपसे आग्रह किया गया था। आप के अनुपस्थित रहने से महत्वपूर्ण विमर्श में आपकी भागीदारी नहीं हो सकी और न ही आपके.....
.....विद्यार्थी का नाम कक्षा.....वर्ग.....की शैक्षिक एवं सह शैक्षिक प्रगति/आवश्यकताओं से आपको अवगति दी जा सकी। अतः आपसे आग्रह है कि आगामी कार्य दिवस को उपस्थित होकर विद्यार्थी की प्रगति एवं बैठक के विमर्श के निर्णयों एवं सुझावों की अवगति प्राप्त कर लें ।

आपसे यह भी अनुरोध है कि आगामी अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक में अपनी उपस्थिति अवश्य दर्ज करावें ।

धन्यवाद ।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान के
www.rajteachers.com

प्रारूप -3

सामुदायिक गतिशीलता

अध्यापक अभिभावक परिषद की बैठक 2017-18

क्र.सं.	जिला	ब्लॉक	कुल विद्यालयों की संख्या	विद्यालयों की संख्या जहाँ बैठक आयोजित हुई	विद्यार्थियों की संख्या जिनके एक अथवा दोनों अभिभावकों ने बैठक में भाग लिया	विद्यार्थियों की संख्या जिनके अभिभावकों ने बैठक में भाग नहीं लिया	कितने प्रतिशत अभिभावकों ने बैठक में भागीदारी की	प्राप्त जनसहयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9